झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री रामचन्द्र सिंह प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	लातेहार जिलान्तर्गत महुआडांड़ प्रखण्ड में खतियान के अनुसार भुईहर मुण्डा जाति को वर्ष- 2014 तक अनु0 जनजाति प्रमाण-पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़ द्वारा निर्गत किया जा रहा था। लेकिन अब वर्ष- 2014 के पश्चात् भुईहर मुण्डा जाति को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड़ द्वारा अनु0 जन-जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। अतः मैं राज्य सरकार से अविलम्ब भुईहर मुण्डा जाति को अनु0 जन-जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
02-	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह स0वि0स0	बोकारो जिला के बेरमो में रामविलास विद्यालय (10+2) में अविभाजित बिहार सरकार के समय से ही बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-11/बि0-106/88 मा0-925, दिनांक- 16.12.1988 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, माईनिंग सर्वेयर कम्पीटेंशी सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम तथा निर्सिंग की पढ़ाई होती थी। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् राज्य के कई छात्र-छात्राओं ने देश-विदेश में नौकरी प्राप्त की तथा राज्य एवं देश को	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
		नई दिशा प्रदान की है। दो वर्षों से पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया, जिससे राज्य के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन से वंचित होना पड़ा है। यह स्कूल अभी भी सभी अर्हताओं को पूरा करता है। अतः मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि राम विलास (10+2) विद्यालय में अविलम्ब वित्तीय वर्ष 2020-2021 से माईनिंग सर्वेयर एवं नर्सिंग सहित पूर्व में पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों की पढ़ाई प्रारम्भ की जाय।	
03	श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0	राज्य में होनेवाली सरकारी नियुक्तियों तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को 26, पिछड़ा वर्ग को 14 और अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। वर्ष 2001 में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अनुसूचित जन-जाति को 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत (कुल 73 प्रतिशत) आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। अतः सरकार राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में होने वाले नियुक्तियों तथा सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को 32,, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
04-	श्री विकास कुमार मुंडा स0वि0स0	राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में तत्कालिक व्यवस्था के तहत् सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर नियुक्त शिक्षकों से अध्यापन का कार्य लिया जा रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति होने से परीक्षाफल भी शत-प्रतिशत होने लगा है बावजूद उसके	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कमजोर वर्ग कल्याण

01.	02.	03.	04.
		विगत (04) वर्षों में मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। मानदेय में बढ़ोतरी एवं शिक्षकों की बहाली की स्थिति में ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	
05	डॉ0 नीरा यादव श्री भानु प्रताप शाही श्रीमती पुष्पा देवी स0वि0स0	कोडरमा जिला के आमजन ढिबरा आश्रित उद्योग पर निर्भर थे जिला के दूर-दराज के गाँवों में लोगों के जीवन यापन हेतु ढिबरा आश्रित उद्योग ही एकमात्र महत्त्वपूर्ण सहारा था। इस उद्योग के कारण ही क्षेत्र को "अभ्रक की नगरी" कहा जाता है, जो धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा माइका को लघु खनिज की श्रेणी में शामिल किया गया था, जिसके अन्तर्गत माइका खनिज एवं इनपर आधारित उद्योग को राज्य सरकार उत्तरदायित्व है कि उनको किस प्रकार बढ़ावा देते हुए पुनर्जीवित रखा जाय। वर्णित उद्योग को पुनर्जीवित करने से लगभग 50 हजार ढिबरा आश्रित परिवारों को लाभ मिलेगा एवं उनके जीवनयापन का स्तर सुधरेगा। अतः कोडरमा जिला के ढिबरा आश्रित परिवार एवं ढिबरा आधारित उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु प्रभावी योजना संचालित/क्रियान्वयन हेतु ध्यान आकृष्ट करते हैं।	खान एवं भूतत्व

राँची,
दिनांक- 04 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...712...../वि0 स0, राँची, दिनांक-03/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कमजोर वर्ग कल्याण विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-...712...../वि0 स0, राँची, दिनांक-03/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

03/03/2020